न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 11 /2018–19

श्री रमेश कुमार कन्दोई,
पिता– स्व0 हीरालाल कन्दोई
सकिन– वार्ड नं0– 12 झुमरी
जिला– कोडरमा

02.07.2018	श्री रमेश कुमार कन्दोई, पिता– स्व0 हीरालाल कन्दोई, साकिन– वार्ड नं0– 12, पोस्ट– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि, मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244, खाता सं0– 1012, प्लॉट नं0– 7250, रकबा– 10 डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 51/IV पर उनके पिता एवं चाचा, हीरालाल कन्दोई, केशरदेव कन्दोई, पेसरान स्व0 भूरामल कन्दोई एवं श्री बाबुलाल कन्दोई पेसरान गुलाब राय कन्दोई के नाम से जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हो रही थी। अंतिम रसीद वर्ष 1977–78 में से चल रही थी। उक्त पंजी II क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रसीद अद्यतन नहीं हो सका है। आवेदक के द्वारा केवाला सं0– 1012 दिनांक 11.02.1964 तथा मालगुजारी रसीद सं0– 380256 वर्ष 1969–70, रसीद सं0– 404154 वर्ष 1977–78 एवं रसीद सं0– 345157 वर्ष 1972–73 की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए अपनी भूमि मालगुजारी रसीद अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 09/07/2018 को उपस्थापित करें। 02/07/2018 अंचल अधिकारी, कोडरमा
09.07.2018	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के पंजी II के पृष्ट सं0 51 वॉल्यूम IV में खाता सं0– 1012 रकबा– 0.10 ए0 भूमि, लगान– 0.15 रू0 केशरदेव कन्दोई वो हीरालाल कन्दोई, पिता– स्व0 भूरामल कन्दोई वो बाबुलाल कन्दोई, पिता– गुलाब राय कन्दोई के नाम से जमाबंदी दर्ज था। उक्त पंजी में पृष्ट सं0– 51 वॉल्यूम IV क्षतिग्रस्त है। इसलिए जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। अमीन द्वारा मापी के उपरांत जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।" मापी के उपरांत अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "आवेदक द्वारा प्रस्तुत [illegible] सं0– 2305 दिनांक 29.06.2018 एवं केवाला सं0– 1012 दिनांक 11.02.1964 के अनुसार मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 अन्तर्गत खाता सं0– 1012, प्लॉट नं0– 7250, रकबा– 10 डी0 जमीन की स्थल पर पहुँच कर नक्शा से सरजमीन का जांच किया। जांच के दौरान पाया कि आवेदक के चाचा वो पिता,केशरदेव कन्दोई वो हीरालाल कन्दोई, पिता– स्व0 भूरामल कन्दोई वो बाबुलाल कन्दोई, पिता– गुलाब राय कन्दोई ने श्रीमती रतन माला जैन, पति– स्व0 नेमीचन्द जैन से क्रय किये हैं। जमीन तीन हिस्सों में बांट कर हटिया रोड के सामने तीन दुकान एवं शेष भाग पर पक्का मकान बना चुका है, जो शांतिपूर्वक दखल–कब्जे में आवेदक के पास है। जमीन निर्विवाद है।" अंचल अमीन के द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने हेतु अनुशंसा की गई है।

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद का न
में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, "लगान रसीद
पुराना है, जिस कारण भंडार पंजी से मिलान करना संभव नहीं है।"

अंचल निरीक्षक के द्वारा राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन तथा निर्गत
रसीद के आधार पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है।

आवेदक को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजातों की मांग क
साथ ही आम-इश्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 18/07/2018 को उपस्थापित करें।

09/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

18-07-2018 अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

आवेदक उपस्थित है। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला सं0– 1012 दिनांक 11.02.1964 तथा मालगुजारी रसीद सं0– 360256 वर्ष 1969–70, रसीद सं0– 404154 वर्ष 1977–78 एवं रसीद सं0– 345157 वर्ष 1972–73 मूल में प्रस्तुत किया गया, जिसकी छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। दावेदार के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा का शपथ पत्र सं0– 2305 दिनांक 29.05.2018 दाखिल किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच–प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि, मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 अन्तर्गत मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 अन्तर्गत खाता सं0– 1012, प्लॉट नं0– 7250, रकबा– 10 डी0, रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 51/IV पर केशरदेव कन्दोई वो हीरालाल कन्दोई, पिता– स्व0 भूरालाल कन्दोई वो बाबुलाल कन्दोई, पिता– गुलाब राय कन्दोई के नाम से चल रही थी। उक्त जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0– 51/IV क्षतिग्रस्त हो चुका है।

अंचल निरीक्षक से स्पष्ट मंतव्य प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक 24/07/2018 को उपस्थापित करें।

18/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner